राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.5(9)नविवि/।।/2014/पार्ट जयपुर, दिनांकः 25 JUL 2015

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांकः प.5(9)नविवि/।।/2014 दिनांक 30.06.2015 के द्वारा लोकहित में अभियन्ताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश प्रसारित किये गये थे, किन्तु ऐसा ज्ञात हुआ है कि उक्त विभागीय आदेशों की पालना में प्राधिकरण/न्यास/मण्डल/स्थानीय निकाय/रूफडिको/आरयूआईडीपी/राविल द्वारा स्थानान्तरणाधीन अभियन्ताओं को नवीन पदस्थापन स्थान के लिए आदिनांक तक भी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया गया है।

उक्त स्थिति राज्यादेशों का स्पष्टतः उल्लघन है। अतः निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2015 को जारी स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों के अनुक्रम में स्थानान्तरणाधीन अभियन्ताओं को अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त कराया जाना सुनिश्चित करावें।

यदि स्थानान्तरणाधीन अभियन्ता को प्राधिकरण/न्यास/मण्डल/स्थानीय निकाय/रूफडिको/आरयूआईडीपी/राविल द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 30.06.2015 की अनुपालना में तत्काल नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो वह अपने आपको कार्यमुक्त मानते हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर उपस्थिति रिपोर्ट इस विभाग को तत्काल भिजवाये जाने की व्यवस्था करावें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
7. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, आबू, अलवर, भरतपुर, भिवाडी, भीलवाडा, बीकानेर, बाडमेर, सीकर, चित्तोडगढ, सवाईमोधापुर, पाली, कोटा, उदयपुर, जैसलमेर एवं श्रीगंगानगर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
11. प्रबंधक निदेशक, आरयूआईएफडीसीओ, जयपुर।
12. महाप्रबंधक, राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर लिमिटेड, जयपुर।
13. आयुक्त, नगर परिषद, पाली/नगर पालिका बहरोड, अलवर।
14. संबंधित अधिकारी।
15. रक्षित पत्रावली।

25/7/15

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय